distributorships reserved in SOST quota are run by benami deals in getting allotted in the time of any Scheduled Caste/Tribe person and actually being run by some other persons by exchanging the ownership by a power of attorney; and

(d) if so, the details of the steps proposed to be taken, if any, to check such malpractices?

THE MINISTER OF PETROLEUM & NATURAL GAS (SHRI JANESHWAR MISHRA): (a) and (b) As per revised dealer selection policy effective from Marketing Plan 1996-98, 33% of the dealerships/distributorships in each category have been reserved for women. Also, unmarried womem above 40 years of age without earning parents will be given preference over others in all categories.

(c) and (d) Complaints were received in the Government that in certain cases, dealcrshipydistributorships which were allotted to SC/ST categories were run on benami deals by persons not actually belonging to SC/ST. In order to curb this practice, the Government evolved a scheme in 1992 under which all SOST categories dealers/distributors were given financial assistance along with land and equipment to operate the dealership/ distributorship.

In proven cases of benami transactions, action is taken under the Marketing Discipling Guidelines by imposition of warning, monetary penalties, suspension and termination.

गंगा नदी में प्रदूषण

*48. **चौधरी हरमोहन सिंह यादव**: क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि वाम आर्गेनिक फैक्टरी 25 वर्षों से गंगा नदी में प्रदूषण फैला रही है:

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है; और

(ग) सरकार ने इस लापरवाही के लिए किन-किन अधिकारियों को दोषी पाया है तथा उनको किस प्रकार की सजा दी गई है?

पर्यावरण और वन मंत्री (प्रो. सैफ-उद्दीन सोज़): (क) से (ग) मैसर्स वाम आर्गेनिक कैमिकल्स लि. (डीस्टिलरी यूनिट) 1982 में गजरौला औद्योगिक क्षेत्र, मुरादाबाद में शुरु की गई थी। इस अद्योग का बहि:स्त्राव बागड़ नदी में निस्तारित किया जाता है जो कि एक मौसमी नदी है तथा यह गंगा की सहायक नदी है। यह 192 कि.मी. की दूरी पर कछाला घाट के ऊर्ध्व प्रवाह में गंगा नदी में मिलती है। इस उद्योग ने बी.ओ.डी. के लिए निर्धारित मानदण्ड को पूरा करने के लिए प्राथमिक एवं सहायक उपचार सुविधाएं स्थापित की हुई है जबकि बहि:स्त्राव में उपचार के बाद भी रंग की समस्या बनी रहती है।

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा समय-समय पर मैसर्स वाम आर्गैनिक्स लि. को बहि:स्त्राव उपचार प्रणालियों में सुधार के लिए निर्देश दिए जाते रहे हैं। चूंकि बागड़ नदी एक मौसमी नदी है इसलिए उद्योग को यह निर्देश भी दिया गया है कि वह वर्ष की कुछ अवधि में बागड़ नदी में अपना बहि: स्वाव निस्तारित न करें इसमें वर्षों के दौरान गंगा में काफी संख्या में लोगों के स्नान करने की अवधि भी शामिल है।

निस्तारण बिन्दु पर बहि:स्त्राव की जांच करने पर बी.ओ.डी. का स्तर निर्धारित सीमा में पाया गया है। बागड़ नदी में बहि:स्त्राव के निस्तारण को कम करने के लिए अब उद्योग ने उपचारित बहि:स्त्राव के भण्डारण एवं कृषि में प्रयोग करने के लिए लैगूनों का निर्माण किया है। रंग को हटाने के साथ ही बहि:स्त्राव की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए प्रायोगिक पिरयोजना भी शुरु की गई है।

केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से प्रदूषण नियंत्रण उपायों में समग्र सुधार लाने के लिए उद्योग से एक निश्चित कार्यक्रम देने के निर्देश दिए हैं।

Settlement at railway claims

*49. CHAUDHARY CHUNNI LAL: Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:

(a) the target period to settle the railway claims by the Railway Claim Department;

(b) the details of cases registered in years 1992-93, 1993-94, 1994-95, 1995-96 and 1996-97 in Northern Railway Claim Office, year-wise;

(c) the number of Cases decided and